न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.13 / प्रा.पत्र / 2024 (GCMS No. 2024 / 19)	30.01.2024	12.08.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, के.पाटन (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

मदनलाल, कजोड़मल, पि.बजरंग, कस्तुरी, अनोख पुत्रिया बजरंग,
बिल्लाबाई बेवा बजरंग जाति रेगर,
निवासी ग्राम गेण्डोलीखुर्द की झौपडिया, तह.के.पाटन
हाल तहसील रायथल, जिला बूंदी (राज.)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के पिता/पति को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 79/2 रकबा 10 बीघा वाकेग्राम गेण्डोली खुर्द आवंटन आदेश दिनांक 10.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

अति.जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 13/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2024/19 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस उनके 10–15 वर्ष पूर्व ही गांव छोडकर अन्यत्र चले जाने की रिपोर्ट सहित प्राप्त हुये। तहसीलदार रायथल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 775 दिनांक 12.03.24 के अनुसार अप्रार्थीगण के अन्यत्र निवास की सूचना ज्ञात नहीं होने से प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जिससे प्रकट है कि बजरंग आ. दोला जाति रेगर निवासी गेण्डोलीखुर्द को दिनांक 10.11.1975 को भूमि खसरा सं. 79/2 रकबा 10 बीघा वाकेग्राम गेण्डोलीखुर्द का आवंटन किया गया था, किन्तु आवंटी द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं करना कब्जा देने की रिपोर्ट से प्रमाणित है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम गेण्डोलीखुर्द की झौपडिया की नकल जमाबंदी संवत 2075–2078 के अनुसार भूमि नवीन खसरा सं. 20, 102, 111 कुल रकबा 1.62 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं आई.एल.आर. दिनांक 19.10.2020 अनुसार भूमि ख.सं. 20, 102, 111 कुल रकबा 1.62 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2076 अनुसार भी उक्त भूमि पड़त पड़ी हुई है।

यहां उल्लेखनीय है कि अप्रार्थीगण के वर्तमान निवास के संबंध में तहसीलदार रायथल से सूचना चाही गई। तहसीलदार रायथल से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 12.3.24 के संलग्न आई.एल.आर. एवं हल्का पटवारी, गूंथा की मजमेआम रूबरू गवाहन तैयार की गई रिपोर्ट से प्रकट होता है कि आवंटी या उसके वारिसान उक्त ग्राम में निवास नहीं कर अन्यत्र चले गये है जिनके वर्तमान निवास की ग्रामवासियों को कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में आवंटी के वारिसान को नोटिस तामील करवाया जाना संभव नहीं होने से प्रकरण में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज गैर खातेदार के विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई की गई। आवंटी एवं उसके वारिसान के वाकेग्राम गेण्डोलीखुर्द की झौपडिया में निवास नहीं करने तथा उनके बारे में ग्रामवासियों को कोई जानकारी नहीं होने से यह प्रमाणित होता है कि आवंटित भूमि पर आवंटी तथा उसके वारिसान का कब्जा काश्त नहीं है। जबकि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आवंटी बजरंग आ. दोला जाति रेगर निवासी गेण्डोलीखुर्द को किया गया भूमि आवंटन ख़सरा सं.79/2 रकबा 10 बीघा (हाल खसरा सं. 20, 102, 111 कुल रकबा 1.62 हैक्टेयर) वाकेग्राम गेण्डोलीखुर्द की झौपडिया दिनांक 10.11.1975 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रायथल को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 12.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)